जनपद बिजनौर

प्रेस नोट थाना हीमपुर दीपा **दिनांक:- 13.06.2026**

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 114/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/333/191(2)/190/109(1) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण - दिनांक 07.09.2026 को वादिया श्रीमती मुशर्रत पत्नी मुख्तार अहमद निवासी ग्राम अकबरपुर तिगरी, थाना हीमपुर दीपा, जनपद बिजनौर द्वारा थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. आशिक पुत्र इकरार, 2. राशिद पुत्र इकरार, 3. नासिर पुत्र इकरार, 4. अंजू उर्फ राशिद पुत्र इकरार, 5. अफजल पुत्र छुन्नू, 6. गुल्लू पुत्र छुन्नू, 7. जहीर पुत्र रियाजू एवं 02 व्यक्ति अज्ञात, निवासीगण ग्राम अकबरपुर तिगरी, थाना हीमपुर दीपा, जनपद बिजनौर द्वारा लाठी-डण्डों से वादिया के घर में घुसकर वादिया व उसके परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा अभियुक्त अफजल द्वारा तमंचे से फायर करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी ।प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0स0 114/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/333/191(2)/190/109(1) बीएनएस पजीकृत किया गया ।

आज दिनांक 09.09.2026 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **जहीर उर्फ जहीरुद्दीन पुत्र रियाजुद्दीन निवासी ग्राम अकबरपुर तिगरी, थाना हीमपुर दीपा, जनपद बिजनौर** को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

जहीर उर्फ जहीरुद्दीन पुत्र रियाजुद्दीन निवासी ग्राम अकबरपुर तिगरी, थाना हीमपुर दीपा, जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री सुमित कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
3. का0 964 लक्ष्य थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
4. का0 3204 रितिक थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
5. का0 426 अनुज कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
6. म0का0 555 रोजी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- यातायात पुलिस   दिनांक 09.09.2026

दिनाक 09.09.2026 को माडीफाईड साईलेन्सर व माल वाहक वाहन पर निर्धारित प्रायोजन के विपरीत सवारी ढोने वाले वाहनों पर यातायात पुलिस का सख्त एक्शन

आज दिनांक 09**.09.2026** को श्रीमान पुलिस अधीक्षक बिजनौर के कुशल निर्देशन में यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा आज यातायात नियमों की उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ एक व्यापक और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान के दौरान शहर के मुख्य चौराहों और संवेदनशील मार्गों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। यातायात पुलिस ने विशेष रूप से ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले व बुलेट के मॉडिफाइड साइलेंसर और माल वाहक वाहन पर निर्धारित प्रायोजन के विपरीत सवारी ढोने वाले वाहनों को टारगेट किया। उपरोक्त अभियान के अन्तर्गत **सड़कों पर पटाखे छोड़ने वाले और तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण फैलाने** वाले 1**1 वाहनों के मॉडिफाइड साइलेंसर** के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। जिसमे **06 बुलेट मो0सा0 के मौके पर साईलेन्सर उतरवाकर यातायात कार्यालय मे जमा कराये** गये, **माल वाहक वाहन पर निर्धारित प्रायोजन के विपरीत सवारी ढोने वाले 08 वाहनों के विरुद्ध सख्त चालान किया गया।**

चेकिंग के दौरान आवश्यक दस्तावेज न होने और नियमों के घोर उल्लंघन पर 0**4 वाहनों** को मौके पर ही सीज किया गया

दिनांक 09.09.2026 को यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा **कुल 337** वाहनो पर प्रवर्तन कार्यवाही की गयी।

यातायात पुलिस बिजनौर आम जनता से अपील करती है कि वे यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें।, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें**,** कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें और अपने वाहनों में किसी भी प्रकार के अवैध मॉडिफिकेशन (जैसे प्रेशर हॉर्न या मॉडिफाइड साइलेंसर) का प्रयोग न करें। **नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की सख्त वैधानिक कार्रवाई प्रतिदिन जारी रहेगी**

VISHAL
B.I.T.

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नूरपुर **दिनाँक-09.09.2026**

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 315/26 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस व 3/25/27 आर्मस एक्ट से सम्बंधित 01 अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.09.2026 को थाना नूरपुर पर वादी अंजीम पुत्र फुरकान निवासी ग्राम आजमपुर, थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. फैसल पुत्र इकबाल निवासी ग्राम धूंधली, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर एवं 2. एक व्यक्ति नाम-पता अज्ञात, पिता का नाम सुरेश, निवासी धूंधली, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच की गई। वादी द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त फैसल द्वारा जान से मारने की नीयत से वादी के ऊपर फायर किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 315/2026 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई।

आज दिनांक 09.09.2026 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अपराध में संलिप्त अभियुक्तों की तलाश एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त फैसल पुत्र इकबाल निवासी ग्राम धूंधली, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर को मुकदमा उपरोक्त में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से हुई बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फैसल पुत्र इकबाल निवासी ग्राम धूंधली, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 415 भूपेन्द्र सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3. का0 1588 राहुल थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4. का0 2578 भूदेव थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिनजौर

प्रेस नोट - थाना रेहड **दिनांक- 09.09.2026**

थाना रेहड पुलिस द्वारा मु0अ0स0 58/2026 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश मे आये 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

सक्षिप्त विवरण व कार्यवाही-

दिनांक 08.09.2026 को वादी पप्पू पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम डांडी दुर्जन, थाना भगतपुर, जनपद मुरादाबाद द्वारा थाना रेहड़ पर तहरीर दी गई कि दिनांक 05.09.2026 की शाम वह बादीगढ़ चौराहे पर कुछ सामान खरीदने हेतु रुका था। इसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल **स्प्लेंडर, रजिस्ट्रेशन नं0 UP21DC-7985** को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बादीगढ़ चौराहे से चोरी कर लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रेहड़ पर **मु0अ0सं0 58/2026 धारा 303(2) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 09.09.2026 की शाम थाना रेहड़ पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त **हरजीत पुत्र श्याम सिंह निवासी रानी नागल, थाना रेहड़, जनपद बिजनौर** को चोरी की मोटरसाइकिल **स्प्लेंडर रजिस्ट्रेशन नं0 UP21DC-7985** के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त हरजीत के कब्जे से उक्त मोटरसाइकिल की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में **धारा 317(2) बीएनएस** की वृद्धि की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

हरजीत पुत्र श्याम सिंह निवासी रानी नागल, थाना रेहड़, जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

एक काले रंग की मोटरसाइकिल **स्प्लेंडर**, रजिस्ट्रेशन नं0 **UP-21-DC-7985**।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार वर्मा थाना रेहड जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 श्री रामचन्द्र सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना रेहड़ जनपद बिजनौर।
4. का0 1642 राजकुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर।
5. का0 884 विजय तोमर थाना रेहड जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट -- थाना धामपुर **दिनांक 09.09.2026**

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 354/2026 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 से संबंधित वाछिंत 01 अभियुक्त को चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.09.2026 को थाना धामपुर पर वादिया शर्मिला देवी पत्नी स्व0 शिव कुमार निवासी मोहल्ला गुजरातियान, थाना धामपुर, जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादिया के भतीजे सौरभ कुमार पुत्र अवनेश निवासी ग्राम फिरोजपुर बझा गुलरिया, जनपद बदायूँ की मोटरसाइकिल **स्प्लेंडर प्लस रजिस्ट्रेशन नं0 UP24BL1959** को वादिनी के घर के सामने गली से चोरी कर लिया गया है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर **मु0अ0सं0 354/2026 धारा 303(2) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में **शहनवाज पुत्र नवी अहमद निवासी पानी की टंकी के पास, पुराना धामपुर हुसैन, थाना धामपुर, जनपद बिजनौर** का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

दिनांक 08.09.2026 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शहनवाज पुत्र नवी अहमद निवासी पानी की टंकी के पास, पुराना धामपुर हुसैन, थाना धामपुर, जनपद बिजनौर को एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त मोटरसाइकिल पर आगे-पीछे कोई नम्बर प्लेट नहीं लगी थी। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने मोटरसाइकिल की नम्बर प्लेट उतारकर रात्रि में कहीं जंगल में फेंक दी थी, जिसकी जगह उसे याद नहीं है।

बरामद मोटरसाइकिल के चैसिस नम्बर को ई-चालान के माध्यम से चेक किया गया तो मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नम्बर UP24BL-1959, इंजन नम्बर HA11F6SHD05443 एवं चैसिस नम्बर MBLHAW463SHD00974 पाया गया। अभियुक्त को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शहनवाज पुत्र नवी अहमद निवासी पानी की टंकी के पास पुराना धामपुर हुसैन थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस रजिस्ट्रेशन नं0 UP24BL1959

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री रवि तोमर थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.है0का0 803 चरनपाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3.का0 2366 मोनू थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4.का0 2574 अमन थाना धामपुर जनपद बिजनौर
5.का0 1629 अक्षय कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना नहटौर **दिनांक 09.09.2026**

थाना नहटौर पुलिस द्वारा 268/2026 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 से संबंधित 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड के दौरान बाइक, अवैध शस्त्र व पशुवध से संबंधित उपकरणों सहित किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण व कार्यवाही-

अवगत कराना है कि दिनांक 05.09.2026 को थाना नहटौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुस्सेपुर के जंगलों में गौवंशीय पशु के अवशेष मिलने के संबंध में थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 268/2026 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 08/09.09.2026 की रात्री को थाना नहटौर पुलिस द्वारा ग्राम सराय असनारा की पुलिया के पास अपराध रोकने के उद्देश्य से संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम द्वारा एक मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल चालक पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल सहित मौके से भागने लगा।

पुलिस द्वारा की गई घेराबंदी के दौरान अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई नियंत्रित जवाबी फायरिंग में अभियुक्त **इकराम उर्फ भूरा पुत्र खलील**, निवासी ग्राम ताहरपुर सैद उर्फ तरकौला, थाना नहटौर, जनपद बिजनौर, स्थायी पता ग्राम बहेड़ा सादात, थाना ककरौली, जनपद मुजफ्फरनगर के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। वहीं उसका साथी अभियुक्त अंधेरे एवं जंगल का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (UP20CL8659), 01 मोबाइल फोन तथा गौकशी में प्रयुक्त उपकरण (01 चापड़, 01 कुल्हाड़ी, 02 छुरी, 01 लकड़ी का गुटका एवं रस्सा) बरामद बरामद हुआ।

पुलिस मुठभेड़ की घटना के संबंध में थाना नहटौर मु0अ0सं0 269/2026 धारा 109(1) बीएनएस अधिनियम, 3/25/27 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त **इकराम** द्वारा बताया गया कि दिनांक 04/05.09.2026 की रात्रि में उसने अपने साथी इमरान उर्फ भूरा पुत्र अब्दुल सलाम, निवासी मोहल्ला पठानपुरा, कस्बा व थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर के साथ मिलकर गोवंशीय पशुओं का वध कर उनके मांस की दावत की थी। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि वह एवं उसका साथी इमरान उर्फ भूरा आज रात्रि ग्राम **सराय असनारा एवं शादीपुर के जंगलों में घूमने वाले गोवंशीय पशुओं की तलाश** में जा रहे थे, तभी पुलिस टीम द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

इकराम उर्फ भूरा पुत्र खलील, निवासी ग्राम ताहरपुर सैद उर्फ तरकौला, थाना नहटौर, जनपद बिजनौर, स्थायी पता ग्राम बहेड़ा सादात, थाना ककरौली, जनपद मुजफ्फरनगर। **(हिस्ट्रीशीटर संख्या-100ए, थाना धामपुर, जनपद बिजनौर)**

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर,
01 हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (UP20CL8659)
01 मोबाइल फोन
गौकशी में प्रयुक्त उपकरण (01 चापड़, 01 कुल्हाड़ी, 02 छुरी, 01 लकड़ी का गुटका एवं रस्सा)

गिरफ्तार अभियुक्त इकराम उर्फ भूरा का अपराधिक इतिहास–

1-मु0अ0सं0 03/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2-मु0अ0सं0 288/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3-मु0अ0सं0 312/2021 धारा 436 भादवि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर
4-मु0अ0सं0 271/25 धारा 109(1)/351(3)/74 बीएनएस व 4/25 आयुध अधि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर
5-मु0अ0सं0 224/2024 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रुरुता अधि0 व 120 बी भादवि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर
6-मु0अ0सं0 329/2024 धारा 126(2)351(3)/352/74 बीएनएस व 3(2)5क एससी/एसटी अधि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर
7-मु0अ0सं0 231/2022 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर
8-मु0अ0सं0 255/2018 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 थाना ककरौली जनपद मुज्जफरनगर
9-मु0अ0सं0 325/2018 धारा 307 भादवि0 थाना ककरौली जनपद मुज्जफरनगर
10.मु0अ0सं0 326/2018 धारा 25 आयुध अधि0 थाना ककरौली जनपद मुज्जफरनगर
11.मु0अ0सं0 07/2019 धारा 307 भादवि0 थाना ककरौली जनपद मुज्जफरनगर
12.मु0अ0सं0 18/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना ककरौली जनपद मुज्जफरनगर
13.मु0अ0सं0 29/2019 धारा 307 भादवि0 थाना ककरौली जनपद मुज्जफरनगर
14.मु0अ0सं0 30/2019 धारा 25 आयुध अधि0 थाना ककरौली जनपद मुज्जफरनगर
15.मु0अ0सं0 30/2020 धारा 307 भादवि0 थाना ककरौली जनपद मुज्जफरनगर
16.मु0अ0सं0 31/2020 धारा 25 आयुध अधि0 थाना ककरौली जनपद मुज्जफरनगर
17.मु0अ0सं0 32/2020 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 थाना ककरौली जनपद मुज्जफरनगर
18.मु0अ0स0 268/2026 धारा 3/5/8 गौवध अधि0,11पशु क्रूरता अधि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर
19. मु0अ0स0 269 /2026 धारा 109(1)बीएनएस,3/25/27 आयुध अधि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री किशन अवतार थाना नहटौर जनपद बिजनौर।
2-उ0नि0 श्री सोनू निगम थाना नहटौर जनपद बिजनौर ।
3-उ0नि0 श्री संयम यादव थाना नहटौर जनपद बिजनौर ।
4-हे0का0 514 मनीष कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर।
5-का0 1073 अमित मलिक थाना नहटौर जनपद बिजनौर।
6-का0 995 सद्दाम हुसैन थाना नहटौर जनपद बिजनौर ।
7-का0 1861 विकास कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर ।
8-का0 982 आदेश यादव थाना नहटौर जनपद बिजनौर।
9-का0 227 सचिन चौधरी थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

10-का0 2422 प्रमोद यादव थाना नहटौर जनपद बिजनौर।